उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
संख्या-22/2015/2430/86-2015-278/2011
लखनऊ, दिनांक – 14 जुलाई, 2015

साधारण खण्ड अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-15 की उपधारा (1) सपठित (सामान्य क्लाजेज अधिनियम, 1897) (अधिनियम संख्या-10 वर्ष 1897 की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (अडतीसवॉं संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षित नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (अडतीसवॉं संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

नियम-8 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये नियम-8 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8- प्रार्थना पत्र का निस्तारण - (1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये और ऐसी अग्रतर जॉच जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात- (क) खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र की स्थिति में या तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकती है या आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये और ऐसी अवधि के लिये, जैसी व उचित समझे खनन पट्टा स्वीकृत कर सकती है। (ख) खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र की स्थिति में या तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकती है या आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिये और मूल पट्टे की अवधि से अनाधिक ऐसी अवधि के लिये, जो वह उचित समझें, खनन पट्टा का नवीनीकरण कर सकती है।	**8- प्रार्थना पत्र का निस्तारण -** (1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये और ऐसी अग्रतर जॉच जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात- (क) खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र की स्थिति में या तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकती है या आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये और ऐसी अवधि के लिये, जैसी व उचित समझे खनन पट्टा स्वीकृत कर सकती है। (ख) खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र की स्थिति में या तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकती है या आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिये और मूल पट्टे की अवधि से अनाधिक ऐसी अवधि के लिये, जो वह उचित समझें, खनन पट्टा का नवीनीकरण कर सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिबन्ध यह है कि जब खनन पट्टा देने या उसके नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है या क्षेत्र में कमी की जाती है तो उसके कारण अभिलिखित किए जायेगें और आवेदक को संसूचित किये जायेगें।

प्रतिबन्ध यह है कि जब खनन पट्टा देने या उसके नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है या क्षेत्र में कमी की जाती है तो उसके कारण अभिलिखित किए जायेगें और आवेदक को संसूचित किये जायेगें।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नदी तल में अनन्य रूप से मिश्रित अवस्था में उपखनिज पाये जाते है वहाँ उन क्षेत्रों में केवल द्वितीय नवीनीकरण राज्य सरकार अनुमन्य कर सकती है, परन्तु ऐसी नवीनीकरण की अवधि खनन पट्टे की मूल अवधि से अनाधिक होगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि खनन पट्टा की द्वितीय नवीनीकरण की दशा में, वर्षिक पट्टा धनराशि अथवा अपरिहार्य भाटक की धनराशि की दोगुनी धनराशि पट्टाधारक को भुगतान करना होगा।

नियम 12 का संशोधन

3. उक्त् नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12- खनन पट्टे की अविध- (1) उपनियम (2) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, तीन वर्ष की अवधि से कम एवं अन्य उप खनिजों के लिये पॉच वर्ष की अवधि से कम तथा दस वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये खनन पट्टा नहीं दिया जायेगा। (2) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेगें, किसी अवधि के लिये खनन पट्टे दे सकती है, जो 10 वर्ष से	**12- खनन पट्टे की अविध-** (1) उपनियम (2) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, पॉच वर्ष की निश्चित अवधि के लिये एवं अन्य उप खनिजों के लिये पॉच वर्ष की अवधि से कम तथा दस वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये खनन पट्टा नहीं दिया जायेगा। (2) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेगें, किसी अवधि के लिये खनन पट्टे दे सकती है, जो 10 वर्ष से अधिक हो किन्तु 15 वर्ष से अधिक न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिक हो किन्तु 15 वर्ष से अधिक न हो।	प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जूली अवस्था में हो, और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के संबंध में विद्यमान खनन पट्टे की अवधि को वर्तमान अवधि 03 वर्ष से बढाकर 05 वर्ष करने की अनुमति दे सकती है।

नियम 34 का संशोधन

4. उक्त् नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-34 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
34- खनन संक्रियायें छः मास के भीतर प्रारम्भ होगी :- (1) सिवाय उस दशा में जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से छः मास के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायिक (इंटरमिशन) किये बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्व रीति से तथा कुशल कारीगर की भॉति करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार खनन संक्रियायें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 समय-समय पर यथा संशोधित प्राविधानों के अधीन यदि अपेक्षित हो पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ करेगा : अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व पर्यावरण अनापत्ति सभी मामलों में प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र यथा स्थिति, परियोजना प्रवर्तक अथवा अंततोगत्वा उपयोक्ता अभिकरण द्वारा और समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण समाधान निर्धारण अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के प्रस्तर-6	**34- खनन संक्रियायें छः मास के भीतर प्रारम्भ होगी :-** (1) इस नियमावली के नियम-14 व 29 के उपबन्धों के अधीन खनन पट्टे के निष्पादन से पूर्व " चयनित आवेदक " खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन बनायी गयी खनिज परिहार नियमावली, 1960 के उपबन्धों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरों से इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अर्ह व्यक्ति द्वारा खनन योजना तैयार करायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) स्वस्थानें चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप और बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली-जुली अवस्था में हो और नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें खनन योजना के अनुसार जिसमें वार्षिक विकास योजनायें खनित क्षेत्रों के भूमि उद्धार एवं पूनर्वासन के पहलू एवं निदेशक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खान बन्दी की उत्तरोत्तर योजना का व्यौरा होगा, की जायेगी।

(3) उपनिजम (2) में अभिदिष्ट खनन योजना खान और विकास (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अधीन बनाये गये खनिज रियायत नियमावली, 1960 के उपबन्धों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो से तदर्थ मान्यता प्राप्त अर्ह किसी व्यक्ति द्वारा तैयार की जायेगी।

(4) पट्टेदार खनन योजना को अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रस्तुत करेगा, जो खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर उसे अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। ऐसा करने मे विफल रहने पर खनन योजना प्रथम वर्ष के लिये अनुमोदित समझी जायेगी।

(2) चयनित आवेदक, खनन योजना के अनुमोदन हेतु उसे निदेशक को प्रस्तुत करेगा, जो खनन योजना प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर उसे आवश्यक रूप से अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है।

(3) एक बार अनुमोदित खनन योजना खनन पट्टे की सम्पूर्ण अवधि क लिये वैध होगा।

(4) स्वस्थानें चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप और बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली-जुली अवस्था में हो और नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें खनन योजना के अनुसार जिसमें वार्षिक विकास योजनायें खनित क्षेत्रों के भूमि उद्धार एवं पूनर्वासन के पहलू एवं निदेशक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खान बन्दी की उत्तरोत्तर योजना का व्यौरा होगा, की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह कि पट्टेदार खनन संक्रियायें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 समय-समय पर यथा संशोधति, के उपबन्धों के अधीन यदि अपेक्षित हो पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर्यावरण अनापत्ति सभी मामलों में प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र यथा स्थिति, परियोजना प्रवर्तक अथवा अंततोगत्वा उपयोक्ता अभिकरण द्वारा और समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण समाधान निर्धारण अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के प्रस्तर-6 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) एक बार अनुमोदित खनन योजना पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के लिये वैध होगा।

(5) खनन पट्टा विलेख का निष्पादन निदेशक द्वारा सम्यक रूप से खनन योजना अनुमोदित किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा, जिसके पश्चात पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से छः मास के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात जानबूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी संक्रियाओं को संचालन उचित और दक्षतापूर्व रीति से तथा कुशल कारीगर की भाँति करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा वित्तीय आश्वासन दिया जायेगा। वित्तीय आश्वासन की रकम स्वस्थानें चट्टान किस्म की खान के लिये पच्चीस हजार रूपये एवं बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में, खनन और सहबद्ध क्रिया कलापों के लिये प्रयोग में लाये गये खनन पट्टा क्षेत्र के लिये प्रति एकड़ खान में अनन्य रूप से पायी जाती हो के लिये पन्द्रह हजार रूपये होगी। तथापि उन नियम (7) के विनिर्दिष्ट प्रारूपों में से किसी में दी गयी वित्तीय श्रेणी की खानों या सम्बन्धित क्षेत्र के लिये दो लाख होगी।

प्रतिबन्ध यह है किसी पट्टाधारक से खनन और सहबद्ध क्रिया कलापों के क्षेत्र में वृद्धि के साथ वित्तीय आश्वासन की रकम बढ़ाये जाने की अपेक्षा की जायेगी। अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ पट्टाधारक खान पर उत्तरोत्तर बन्द करने के भाग रूप में भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय को हाथ में लेता है वहाँ इस प्रकार खर्च की गयी रकम की

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा वित्तीय आश्वासन दिया जायेगा। वित्तीय आश्वासन की रकम स्वस्थानें चट्टान किस्म की खान के लिये पच्चीस हजार रूपये एवं बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में, खनन और सहबद्ध क्रिया कलापों के लिये प्रयोग में लाये गये खनन पट्टा क्षेत्र के लिये प्रति एकड़ खान में अनन्य रूप से पायी जाती हो के लिये पन्द्रह हजार रूपये होगी। तथापि उन नियम (7) के विनिर्दिष्ट प्रारूपों में से किसी में दी गयी वित्तीय श्रेणी की खानों या सम्बन्धित क्षेत्र के लिये दो लाख होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गणना पट्टाधारक द्वारा पहले से ही खर्च की गयी वित्तीय आश्वासन की राशि के रूप में की जायेगी और पट्टेदार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय आश्वासन की कुल रकम उस सीमा तक घटा दी जायेगी।

7) वित्तीय आश्वासन या उसका कोई संशोधन निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में पट्टा विलेख निष्पादन के पूर्व पट्टेदार द्वारा यथास्थिति, जिलाधिकारी अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा:

(क) किसी अनुसूचित बैंक से प्रत्यय पत्र

(ख) अनुपालन या प्रतिभूति बन्द पत्र

(ग) प्रतिभूति को कोई अन्य प्रारूप या समक्ष अधिकारी को स्वीकार्य कोई अन्य गारण्टी

(8) वित्तीय आश्वासन की निर्मुक्ति पट्टेदार द्वारा खान बन्द करने की योजना में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के समाधानप्रद अनुमान के लिये दी गयी और यथास्थिति जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित अधिसूचना पर प्रभावी होगी।

(9) यदि जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने से युक्ति-युक्त आधार

प्रतिबन्ध यह है कि किसी पट्टाधारक से खनन और सहबद्ध क्रिया कलापों के क्षेत्र में वृद्धि के साथ वित्तीय आश्वासन की रकम बढ़ाये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ पट्टाधारक खान पर उत्तरोत्तर बन्द करने के भाग रूप में भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय को हाथ में लेता है वहाँ इस प्रकार खर्च की गयी रकम की गणना पट्टाधारक द्वारा पहले से ही खर्च की गयी वित्तीय आश्वासन की राशि के रूप में की जायेगी और पट्टेदार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय आश्वासन की कुल रकम उस सीमा तक घटा दी जायेगी।

(7) वित्तीय आश्वासन या उसका कोई संशोधन निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में पट्टा विलेख निष्पादन के पूर्व पट्टेदार द्वारा यथास्थिति, जिलाधिकारी अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा:

(क) किसी अनुसूचित बैंक से प्रत्यय पत्र

(ख) अनुपालन या प्रतिभूति बन्द पत्र

(ग) प्रतिभूति को कोई अन्य प्रारूप या समक्ष अधिकारी को स्वीकार्य कोई अन्य गारण्टी

(8) वित्तीय आश्वासन की निर्मुक्ति पट्टेदार द्वारा खान बन्द करने की योजना में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के समाधानप्रद अनुमान के लिये दी गयी और यथास्थिति जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित अधिसूचना पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

है कि अनुमोदित " खान बन्द करने की योजना " से जिसके संबंध में वित्तीय आश्वासन दिया गया था, परिकल्पित रूप से सरंक्षा भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय " खान बन्द करने की योजन " के अनुसार पूर्णत: या भागत: कार्यान्वित नहीं किये है या नहीं किये जायेगें तो जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पट्टेदार को आश्वासन दी गयी राशि को प्रत्याहृत करने के लिये आदेश जारी करने के आशय की लिखित सूचना आदेश जारी किये जाने की दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व देगा।

(10) उप नियम (9) में विनिर्दिष्ठ सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर यदि पट्टेदार से कोई लिखित समाधानप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यथा स्थिति जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रतिभूमि रकम सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रतिभूमि रकम प्रत्याहृत करने के लिये आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को पृष्ठांकित की जायेगी।

(11) जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश के जारी करने पर संबंधित राज्य सरकार संरक्षा भूमि उद्धार और पुर्नवासन के प्रयोजन के लिये वित्तीय आश्वासन के रूप में उपबन्धित या अभिप्राप्त किये गये किसी प्रत्यय पत्र या बन्ध पत्र या किसी अन्य प्रतिभूति गारण्टी को वसूल कर सकेगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिये खनन संक्रिया के अन्तर्गत खान के कार्य के संबंध में मशीनों का लगाना ट्राम्वे बिछाना या सड़क का निर्माण भी है।

प्रभावी होगी।

(9) यदि जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने से युक्ति-युक्त आधार है कि अनुमोदित " खान बन्द करने की योजना " से जिसके संबंध में वित्तीय आश्वासन दिया गया था, परिकल्पित रूप से सरंक्षा भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय " खान बन्द करने की योजन " के अनुसार पूर्णत: या भागत: कार्यान्वित नहीं किये है या नहीं किये जायेगें तो जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पट्टेदार को आश्वासन दी गयी राशि को प्रत्याहृत करने के लिये आदेश जारी करने के आशय की लिखित सूचना आदेश जारी किये जाने की दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व देगा।

(10) उप नियम (9) में विनिर्दिष्ठ सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर यदि पट्टेदार से कोई लिखित समाधानप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यथा स्थिति जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रतिभूमि रकम सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रतिभूमि रकम प्रत्याहृत करने के लिये आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को पृष्ठांकित की जायेगी।

(11) जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश के जारी करने पर संबंधित राज्य सरकार संरक्षा भूमि उद्धार और पुर्नवासन के प्रयोजन के लिये वित्तीय आश्वासन के रूप में उपबन्धित या अभिप्राप्त किये गये किसी प्रत्यय पत्र या बन्ध पत्र या किसी अन्य प्रतिभूति गारण्टी को वसूल कर सकेगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिये खनन संक्रिया के अन्तर्गत खान

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के कार्य के संबंध में मशीनों का लगाना ट्राम्वे बिछाना या सड़क का निर्माण भी है।

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी :-

(1) उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 अधिसूचना संख्या-1575-एम-18-बी0एम-97-58 दिनाक 26 अगस्त,1963 के साथ
जारी की गई और उत्तर प्रदेश गजट दिनाक 14 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित की गई ।

(2) प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या-331-एम/18-एफ0एम0-331-66, दिनॉक 16 नवम्बर,1968 कि साथ जारी किया गया था।

(3) द्वितीय संशोधन अधिसूचना संख्या-1181-एम/18-एफ0एम0-21-67, दिनॉक 23 नवम्बर, 1969 के साथ जारी किया गया था।

(4) तृतीय संशोधन अधिसूचना संख्या-3388-आई0एम0/18-एफ0-15-एम0एम0-66, दिनांक 31 अगस्त, 1970 के साथ जारी किया गया था।

(5) चतुर्थ संशोधन अधिसूचना संख्या-2746-एम/18-12-(14)-72, दिनांक 28 दिसम्बर, 1972 के साथ जारी किया गया और 31 दिसम्बर, 1972 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(6) पंचम संशोधन अधिसूचना संख्या-4669/18-12-57/75, दिनांक 14 सितम्बर, 1972 के साथ जारी किया गया और 15 सितम्बर, 1976 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(7) षष्ठम संशोधन अधिसूचना संख्या-1518/18-12-200-77, दिनांक 25 अप्रैल, 1978 के साथ जारी किया गया और 01 मई, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(8) सप्तम संशोधन अधिसूचना संख्या-3157/18-12-57-75 सी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 एम0एम0(7)-1978, दिनांक 27 जुलाई, 1978 के साथ जारी किया गया और 01 अगस्त, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(9) अष्टम संशोधन अधिसूचना संख्या-3186/18-12-सी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-6-77-95-77, दिनांक 9 जनवरी, 1979 के साथ जारी किया गया और 30 जनवरी, 1979 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(10) नवम संशोधन अधिसूचना संख्या-8010/18-12-332-79-यू0पी0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0(9)-1982, दिनांक 15 जनवरी, 1982 के साथ जारी किया गया और 01 फरवरी, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(11) दसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-486/18-12-85 यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-196 ए0एम0(10)-1982, दिनांक 17 मार्च, 1982 के साथ जारी किया गया और 24 मार्च, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(12) ग्यारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5379/18-12-200-77-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-(11)-1984, दिनांक 12 अक्टूबर, 1984 के साथ जारी किया गया और 19 अक्टूबर, 1984 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।

(13) बारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-18/18-12-213-79-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-(12)-1985, दिनांक 9 जनवरी, 1985 के साथ जारी किया गया और 11 जनवरी, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) तेरहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-4670/18-12-213-79-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-(13)1985, दिनांक 29 मई, 1985 के साथ जारी किया गया और 31 मई, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(15) चौदहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-6689/18-12-206-85, दिनांक 12अगस्त, 1985 के साथ जारी किया गया और 20 अगस्त, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(16) पन्दहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-4896/18-12-89-200-77, दिनांक 28 अगस्त, 1989 के साथ जारी किया गया और 28 अगस्त, 1989 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(17) सोलहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-2931/18-12-90-3(16)-90, दिनांक 30 जून, 1990 के साथ जारी किया गया और 7 जुलाई, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(18) सत्रहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5233/18-12-90-10-90, दिनांक 26 सितम्बर, 1990 के साथ जारी किया गया और 20 अक्टूबर, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(19) अटठारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-1862/18-12-93-200-77, दिनांक 19 जुलाई, 1930 के साथ जारी किया गया और 14अगस्त, 1993 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(20) उन्नीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-2855/18-12-93-200-77, दिनांक 26 सितम्बर एवं 25 नवम्बर 1993 के साथ जारी किया गया और 1 जनवरी, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(21) बीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-3871/18-12-94-10-90-टी0सी0, दिनांक 27 अगस्त, 1994 के साथ जारी किया गया और 27 अगस्त, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(22) इक्कीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5471/18-12-94-10-90-टी0सी0, दिनांक 2 फरवरी, 1985 के साथ जारी किया गया और 20 अगस्त, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(23) बाइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-4520/18-11-96-200-77, दिनांक 9 जनवरी, 1997 के साथ जारी किया गया और 9 जनवरी, 1997 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(24) तेइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-859/77-5-2001-8(204)/95 टी0सी0, दिनांक 31 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 31 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(25) चैबीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-1615/77-5-2001-200/77, दिनांक 28 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 28 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(26) पच्चीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-1773/77-5-2002-729 एस0आई0डी0(आर)/2001, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 के साथ जारी किया गया और 12 अप्रैल, 2002 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(27) छब्बीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-16661/77-5-2002-729 एस0आई0डी0(आर)/2001, दिनांक 22 जून, 2004 के साथ जारी किया गया और 22 जून, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(28) सत्ताइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5666/77-5-2002-8(204)/95 टी0सी0, दिनांक 16 अक्टूबर, 2004 के साथ जारी किया गया और 16 अक्टूबर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(29) अटठाइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-6714/77-5-2004-200-77, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 के साथ जारी किया गया और 15 दिसम्बर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(30) उन्नतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-476/77-5-2007-236-2005, दिनांक 15 फरवरी, 2007 के साथ जारी किया गया और 15 फरवरी, 2007 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(31) तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-530/86-2009-200/ टीसी।।, दिनांक 02 जून, 2009 के साथ जारी किया गया और 02 जून, 2009 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(32) इक्तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-336/86-2010-141/07, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के साथ जारी किया गया और 29 जनवरी, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(33) बतीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-1704/86-2010-83-2010, दिनांक 12 मई, 2010 के साथ जारी किया गया और 12 मई, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(34) तैतीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-7338/86-2011-183/2011, दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 के साथ जारी किया गया।

(35) चौतीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-2974/86-2012-200/77 टी0सी0-।।, दिनांक 2 नवम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया।

(36) पैतीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-2216/86-2012-235-2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित हुआ हैं।

(37) छत्तीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-1361/86-2013-113/2013, दिनांक 26 फरवरी, 2014 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्रकाशित हुआ हैं।

(38) सैंतीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-3204/86-2014-278/2011, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित हुआ हैं।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।